उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) वाद सं0 25/2021–22

मुरली यादव.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

गणेश यादव.....उत्तरकारी।

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–64/2010–111 में पारित आदेश दिनांक–28.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता के दावों को अस्वीकृत करते हुए उत्तरकारी को मौजा बंधियाडीह नं0–24 का प्रधान संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1). मौजा बंधियाडीह नं0–24 गेंजर सर्वे से खास मौजा है। अपीलकर्त्ता को मौजा का प्रधान संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था।

(2). इस नियुक्ति के आदेश के विरूद्ध विज्ञ उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 रिविजन सं0–07/2014–15 दायर किया गया एवं विज्ञ उपायुक्त द्वारा आदेश पारित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी को इस निदेश के साथ पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया गया कि मौजा में प्रधान की नियुक्ति धारा–5 अथवा 6 के अन्तर्गत होगी, इस संबंध में पूर्ण विचारोपरांत आदेश पारित किया जाय।

(3). अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा गेंजर सर्वे से खास है।

(4). उत्तरकारी को G.R case No 515/1997/TR Case No 1046/2017 में धारा–325 I.P.C के अन्तर्गत तीन साल की सजा हुई है। इसके पश्चात् भी उत्तरकारी को प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क :–

(1). मौजा बंधियाडीह नं0–24 प्रधानी मौजा है। गेंजर सर्वे के पर्चा के "कैफियत कॉलम" में काली महतो प्रधान अंकित है।

(2). उत्तरकारी जमाबंदी काली महतो के वंशज है। इस आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है।

(3). इनके नियुक्ति पर 16 आना रैयतों को कोई आपत्ति नही है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है। उनके द्वारा अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य :–

विज्ञ उपायुक्त के रे0मि0 रिवीजन सं0–07/14–15 में पुर्नविचार हेतु पारित आदेश दिनांक–11.08.2015 प्राप्ति के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अंचल अधिकारी जरमुण्डी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से उनके पत्रांक–1228/रा0 दिनांक–07.09.2013 एवं पत्रांक–646/रा0 दिनांक–27.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय को प्राप्त है। पत्रांक–1228/रा0 दिनांक–07.09.2013 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मौजा बंधियाडीह नं0–24 गेंजर सर्वे से ही खास मौजा था। मौजा बंधियाडीह नं0–24, खाता नं0–12 (केन्दवाद) उ0 काली महतो प्रधान दर्ज है। गेंजर रैयत काली महतो के गेंजर प्रधान होने संबंधी किसी प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रांक–646/रा0 दिनांक–27.08.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में हल्का कर्मचारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि मौजा वंधियाडीह नं0–24 के जमाबंदी नं0–3 के खतियानी रैयती काली महतो, वो गनौरी महतो वो हरखु महतो पेशरान राती महतो वो

नथु महतो वो गोवरधन महतो पेशरान राम महतो दर्ज है खतियान में किस्म रैयत जमाबंदी रैयत बोलकर दर्ज है। उक्त जमाबंदी के कुछ खेसराओं के कैफियत कॉलम में कही–कही दखलकर काली महतो प्रधान दर्ज है। उत्तरकारी गणेश महतो गेंजर रैयत काली महतो के वंशज है। इसी आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद पर अनमुडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 :–

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स–1950 सिउ्डल–V के Dismissal Of Headman के क्रमांक–2 :–

On account of any proved fraud, violene, contempt of Court or other grave misconduct or of such oppressive or inconsiderate treatment of the raiyats or gross neglect of their interest as may be considered to unfit him for the post.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तरकारी द्वारा ऐसा कोई सबूती कागजात दाखिल नहीं किया गया है कि उत्तरकारी के पूर्वज काली महतो मौजा का प्रधान थे। उनकी नियुक्ति संबंधी कोई भी कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। गेंजर खतियान के मात्र एक दाग सं0–12 (के कैफियत कॉलम) में उ0–काली महतो प्रधान दर्ज है।

एक दाग के कैफियत कॉलम में उ0–काली महतो दर्ज होने से यह सिद्ध नहीं होता है कि वह मौजा का प्रधान थे। जबकि उनके उसी खतियान के रैयत का किस्म में जमाबंदी रैयत दर्ज है। यदि वे प्रधान होते तो खतियान में भी निश्चित रूप से प्रधान दर्ज होता किन्तु ऐसा नहीं है।

ऐसी स्थिति में मात्र एक दाग के कैफियत कॉलम के उ0 काली महतो प्रधान के दर्ज आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति किया गया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उत्तरकारी को G.R case No 515/1997/TR Case No 1046/2017 में धारा–325 I.P.C के अन्तर्गत तीन साल की सजा हुई है। इसके पश्चात् भी उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स–1950 सिड्यूल–V के Dismissal Of Headman के क्रमांक–2 में उल्लेखित तथ्य के आधार पर भी अनुकुल नहीं है।

इन तथ्यों के आलोक में उत्तरकारी को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है जो निरस्त करने के योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को पुर्नविचारार्थ इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि मौजा गेंजर में प्रधानी है तो प्रधान पद पर नियुक्ति किया जाय अन्यथा मौजा को खास रखा जाय।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 17:08:07 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

4383 dt 23/2/22